न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौकरिया, RAS

अपील संख्या 53/2019

1 छीतर पुत्र नानगाराम उम्र 60 वर्ष जाति माली निवासी ढ़ाणी जोहड़ी वाली, डेहरा जोहड़ी, पटवार हल्का गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गिरधारी पुत्र नानचाराम जाति माली निवासी ढ़ाणी जोहड़ी वाली डेहरा जोहड़ी पटवार हल्का गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 हरचन्द पुत्र लादू।
3 भागाराम उर्फ भागचन्द पुत्र लादू।
4 मामराज पुत्र लादू।
5 मंगला पुत्र मुरलीधर।
6 बीरबल पुत्र मुरलीधर।
7 रोहिताश पुत्र मुरलीधर।
8 ताराचन्द पुत्र मुरलीधर।
9 भांती देवी बेवा मुरलीधर समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी जोहड़ी वाली डेहरा जोहड़ी पटवार हल्का गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
10 शांति देवी पत्नी झुंथाराम।
11 अनिता देवी पत्नी कैलाशचन्द।
12 गणेश पुत्र नानचाराम।
13 बनवारी पुत्र नानचाराम जाति माली निवासी ढ़ाणी जोहड़ी वाली डेहरा जोहड़ी पटवार हल्का गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 मंगलचन्द पुत्र झाबरमल।
15 माडूराम पुत्र झाबरमल।
16 ओमप्रकाश पुत्र झाबरमल।
17 सरबती देवी बेवा झाबरमल समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी बागसी की डेहरा जोहड़ी पटवार हल्का गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
18 गुल्लाराम पुत्र बालूराम।
19 पूरण पुत्र बालूराम।
20 भोमाराम पुत्र बालूराम।
21 रोहिताश पुत्र तेजाराम।
22 महेश पुत्र तेजाराम समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी उदक्या वाली डेहरा जोहड़ी पटवार हल्का गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
23 रामस्वरूप उर्फ जवान पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नवोड़ी भिलान भोपालपुरा गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
24 उप पंजियक अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर।
25 भूमिधारक जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
26 पटवारी पटवार हल्का गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध वाद संख्या 195/2010 बाबत् घोषणा
विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 11.06.2015
पीठासीन अधिकारी सतवीर यादव आर.ए.एस. उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नीमकाथाना
उनवान झाबरमल बनाम छीतर आदि

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिनेश कुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 2-7-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 195/2010 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट द्वारा घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 2500,2505,2506,2508,2511,2512,2291/1 के सन्दर्भ में अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रकरण में दिनांक 16.07.2012 को प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 11.06.2015 को अन्तिम डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 01 छीतर की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हुई है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील मियाद में शूमार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विवादित भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंटगण 2 से 4 के नाम से दर्ज होने के कारण उनके मन में कुछ समय से बदनियत आ गयी एवं खातेदारी इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को भूमियां को विक्रय करने पर आमादा है। खसरा नम्बर 2505 को विवादित पटवारी द्वारा बताकर बंटवारा नहीं किया गया ओर यह बताया गया कि जमाबंदी के अनुसार कब्जा नहीं है कब्जा किसी ओर का है और जमाबंदी में नाम किसी अन्य का है श्रीमान् 2505 खसरा नम्बर नाम किसी अन्य के है जमाबंदी में परन्तु जिसके हिस्से में आया वो ही काबिज व काश्त करता आ रहा है उसी ने किसी अन्य को काश्त फसल बोने के लिये दे रखी है परन्तू खसरा नम्बर 2506 में कब्जा किसी अन्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने कर रखा है मकान बना रखे है और नाम किसी अन्य व्यक्ति के है जमाबंदी में पटवारी ने उसका बंटवारा गलत कर दिया है जबकि वह तो पक्का कब्जा करके रह रहा है तथा खसरा नम्बर 2291 को राजस्व कार्यालय में आपसी सहमती का बंटवारा होना बताया गया बंटवारा सहमति से बात हुयी थी जिसका कब्जा व हिस्सा अनुसार नाम करवा देगे परन्तु ऐसा नहीं किया गया खसरा नम्बर 2505,2506 व 2291 को पटवारी ने किसी अन्य के कहे अनुसार दबाव में आकर अपने अधिकारो का गलत उपयोग करते हुये किसी अन्य के कहने पर विवाद में फसाने की नीयत से काम किया है जो कि पूर्णतया गलत है व नियम के विरूद्व बंटवारा है जो उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्व है। खसरा नम्बर 2505 जो कि सम्पूर्ण पर कब्जा व हिस्सा छीतरमल सैनी के पास है इस ने बाकी सभी हिस्सेदारो का नाम हटाकर सम्पूर्ण खसरा छीतरमल सैनी के नाम से आना चाहिए था परन्तू केवल इसी खाते को विवादित दिखाकर पटवारी ने इसको पूर्व की स्थिति में ही रख दिया बाकी सभी खातो में से छीतरमल सैनी का नाम हटाकर कब्जानुसार नाम चढ़ा दिया गया जो कि गलत है। खसरा नम्बर 2291/1 जो कि सम्पूर्ण खाता 0.84 हैक्टेयर का मामराज, हरचन्द, भागाराम उर्फ भागचन्द गुर्जर पुत्र लादूराम के था परन्तु इसमें हिस्सा व कब्जा छीतरमल पुत्र नानकाराम 1/4 हिस्सा, मंगला, बीरबल, ताराचन्द, रोहिताश पुत्र मुरली, भाती पत्नी मुरली सम्पूर्ण का हिस्सा 1/4, मंगल, माडू, प्रकश पुत्र झाबर, गणेश, बनवारी पुत्र नानचा का हिस्सा 1/4 मामराज, हरचन्द, भागाराम उर्फ भागचन्द पुत्र लादू हिस्सा 1/4 में काबिज व काश्त करते चले आ रहे है परन्तु सम्पूर्ण खाते की जमीन को धोखे से मामराज, हरचन्द, भागाराम उर्फ भागचन्द के किसी अन्य को लगातार बेचते आ रहे है सहमती होने के बाद भी छीतरमल के नाम उनका हिस्सा 1/4 नाम नहीं करवाया जबकि अभियान में फैसला हुआ था कि कब्जे व हिस्से के अनुसार नाम करवा देगें। खसरा नम्बर 2505 का मौके पर कब्जे के अनुसार रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं है तो विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सका उक्त वाक्य में खसरा नम्बर 2505 सम्पूर्ण पर अपीलार्थी का कब्जा था

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

और वह उक्त खसरा की भूमि पर अपीलार्थी काश्तकारी करता चला आ रहा। उक्त खसरा नम्बर का सम्पूर्ण रकबा अपीलार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज किया जाना था परन्तु पटवारी पटवार हल्का गुहाला ने अन्यथा लाभ लेने की नियत से अपीलार्थी का कब्जा नहीं बताया, इसलिये उक्त खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि अपीलार्थी के नाम रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित आवश्यक एवं न्यायोचित है। खसरा नम्बर 2291/1 का विभाजन राजस्व अभियान में सहमती से नहीं किया गया और वर्तमान समय में भी उक्त खसरा नम्बर का विवाद चल रहा है इसलिए पटवारी पटवार हल्का गुहाला की रिपोर्ट के अनुसार जारी की डिग्री में परिवर्तन संशोधन किया जाना उचित एंव आवश्यक है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट ने इस एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने की कोई कार्यवाही नही की है। अपीलांट द्वारा अन्तिम डिकी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिकी दिनांक 16.07.2012 को चुनौती नही दी गई है। ऐसी स्थिति में अन्तिम डिकी की अपील में अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय में तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। इनके आधार पर विचारण न्यायालय ने अन्तिम डिकी पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एंव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी खसरा नम्बर 2500,2505,2506,2508,2511,2512,2291/1 के सन्दर्भ में जारी की गई है। जबकि विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 2291/1 के सन्दर्भ में प्रस्ताव नही दिया गया है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिकी में खसरा नम्बर 2291/1 के सन्दर्भ में भी विभाजन की अन्तिम डिकी जारी कर दी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अन्तिम डिकी को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अन्तिम डिकी को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की उपस्थिति में प्राथमिक डिकी के अनुरूप तहसीलदार से पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20/10/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सु[illegible]न सौकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर